

प्रतिदाय को केंद्रीय माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 की अनुसूची 2 की मद 5 की उपमद (ख) में विनिर्दिष्ट सेवा की पूर्ति की दशा में अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

2. यह अधिसूचना 1 जुलाई, 2017 से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 334/1/2017-टी.आर.यु]

रुचि बिष्ट, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th June, 2017

No. 15/2017-Central Tax (Rate)

G.S.R. 694(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 54 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council hereby notifies that no refund of unutilised input tax credit shall be allowed under sub-section (3) of section 54 of the said Central Goods and Services Tax Act, in case of supply of services specified in sub-item (b) of item 5 of Schedule II of the Central Goods and Services Tax Act.

2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of July, 2017.

[F. No.334/1/2017 -TRU]

RUCHI BISHT, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जून, 2017

सं. 16/2017- केन्द्रीय कर (दर)

सा.का.नि. 695(अ).—केन्द्रीय सरकार, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 55 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए,—

(i) संयुक्त राष्ट्र या विनिर्दिष्ट अंतर्राष्ट्रीय संगठन; और

(ii) भारत में विदेशी राजनयिक मिशन या कौंसलीय पद या राजनयिक अभिकर्ता या उसमें पद स्थापित कैरियर कौंसलीय अधिकारी,

इस धारा के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन विनिर्दिष्ट करती है :--

(क) संयुक्त राष्ट्र या कोई विनिर्दिष्ट अंतर्राष्ट्रीय संगठन संयुक्त राष्ट्र या उस विनिर्दिष्ट अंतर्राष्ट्रीय संगठन से, उनके द्वारा प्राप्त माल या सेवाओं या दोनों की पूर्तियों पर संदत्त केंद्रीय कर के प्रतिदाय का दावा करने के हकदार किसी ऐसे प्रमाणपत्र के अध्यधीन होंगे कि माल और सेवाओं का उपयोग संयुक्त राष्ट्र या विनिर्दिष्ट अंतर्राष्ट्रीय संगठन के शासकीय उपयोग के लिए किया गया है या उपयोग किया जाना आशयित है।

(ख) भारत में विदेशी राजनयिक मिशन या कौंसलीय पद या उसमें पद स्थापित कैरियर कौंसलीय अधिकारी उनके द्वारा प्राप्त माल या सेवाओं या दोनों की पूर्तियों पर संदत्त केंद्रीय कर के प्रतिदाय का दावा करने के निम्नलिखित के अध्यधीन हकदार होंगे,—

(i) कि भारत में विदेशी राजनयिक मिशन या कौंसलीय पद या राजनयिक अभिकर्ता या उसमें पद स्थापित कैरियर कौंसलीय अधिकारी पारस्परिकता के सिद्धांत पर आधारित विदेश मंत्रालय के प्रोटोकाल प्रभाग द्वारा जारी प्रमाणपत्र में यथा अनुध्यात यथा अनुबंधित केंद्रीय कर के प्रतिदाय के लिए हकदार होंगे;

- (ii) कि सेवाओं की पूर्ति की दशा में विदेशी राजनयिक मिशन या कौंसलीय पद का प्रमुख या उसके द्वारा प्राधिकृत ऐसी मिशन या पद का कोई व्यक्ति उसके द्वारा या प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित एक मूल वचनबंध यह कथन करते हुए देगा कि सेवा की पूर्ति उक्त विदेशी राजनयिक मिशन या कौंसलीय पद के शासकीय प्रयोजन के लिए या उक्त राजनयिक अभिकर्ता या कैरियर कौंसलीय अधिकारी या उसके कुटुंब के सदस्यों के व्यक्तिगत उपयोग के लिए प्राप्त की गई है ;
- (iii) कि माल की पूर्ति की दशा में संबंधित राजनयिक मिशन या कौंसल या उसके द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत कोई अधिकारी यह प्रमाणपत्र पेश करेगा कि,-
- (I) माल का उपयोग मिशन या कौंसल के लिए, यथास्थिति, रखा गया है या किया जा रहा है;
- (II) माल की पूर्ति आगे नहीं की जाएगी या माल की प्राप्ति की तारीख से तीन वर्ष की समाप्ति से पूर्व माल का अन्यथा व्ययन कर दिया जाएगा; और
- (III) खंड (I) की अननुपालना की दशा में राजनयिक या कौंसलीय मिशन उनको संदत्त रकम के प्रतिदाय का वापस संदाय करेगा ;
- (iv) उस दशा में जब भारत में किसी भी विदेशी राजनयिक मिशन या कौंसलीय पद को प्रमाणपत्र जारी करने के पश्चात् विदेश मंत्रालय के प्रोटोकाल प्रभाग द्वारा उसे तत्पश्चात् प्रत्याहरण करने का विनिश्चय किया जाता है तो उसे विदेशी राजनयिक मिशन कौंसलीय पद ऐसे प्रमाणपत्र के प्रत्याहरण को संसूचित किया जाएगा ।
- (v) भारत में विदेशी राजनयिक मिशन या कौंसलीय पद को शासकीय प्रयोजन के लिए या उनके व्यक्तिगत उपयोग के लिए या उनके कुटुंब के सदस्यों के उपयोग के लिए प्रदत्त केंद्रीय कर का संपूर्ण प्रतिदाय ऐसे प्रमाणपत्र के प्रत्याहरण की तारीख से उपलब्ध नहीं होगा ।

स्पष्टीकरण--इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, "विनिर्दिष्ट अंतर्राष्ट्रीय संगठन" से संयुक्त राष्ट्र (विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां) अधिनियम, 1947 (1947 का 46) की धारा 3 के अनुसरण में केंद्रीय सरकार द्वारा घोषित कोई ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन अभिप्रेत है जिसे उक्त अधिनियम की अनुसूची के उपबंध लागू होते हैं ।

2. यह अधिसूचना 1 जुलाई, 2017 से प्रवृत्त होगी ।

[फा. सं. 334/1/2017-टी.आर.यु]

रुचि बिष्ट, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th June, 2017

No. 16/2017-Central Tax (Rate)

G.S.R. 695(E).— In exercise of the powers conferred by section 55 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government hereby specifies, -

- (i) United Nations or a specified international organisation; and
- (ii) Foreign diplomatic mission or consular post in India, or diplomatic agents or career consular officers posted therein,

for the purposes of the said section subject to the following conditions:-

- (a) United Nations or a specified international organisation shall be entitled to claim refund of central tax paid on the supplies of goods or services or both received by them subject to a certificate from United Nations or that specified international organisation that the goods and services have been used or are intended to be used for official use of the United Nations or the specified international organisation.
- (b) Foreign diplomatic mission or consular post in India, or diplomatic agents or career consular officers posted therein shall be entitled to claim refund of central tax paid on the supplies of goods or services or both received by them subject to, -

(i) that the foreign diplomatic mission or consular post in India, or diplomatic agents or career consular officers posted therein, are entitled to refund of central tax, as stipulated in the certificate issued by the Protocol Division of the Ministry of External Affairs, based on the principle of reciprocity;

(ii) that in case of supply of services, the head of the foreign diplomatic mission or consular post, or any person of such mission or post authorised by him, shall furnish an undertaking in original, signed by him or the authorised person, stating that the supply of services received are for official purpose of the said foreign diplomatic mission or consular post; or for personal use of the said diplomatic agent or career consular officer or members of his/her family;

(iii) that in case of supply of goods, concerned diplomatic mission or consulate or an officer duly authorized by him will produce a certificate that,—

(I) the goods have been put to use, or are in the use, as the case may be, of the mission or consulate;

(II) the goods will not be supplied further or otherwise disposed of before the expiry of three years from the date of receipt of the goods; and

(III) in the event of non-compliance of clause (I), the diplomatic or consular mission will pay back the refund amount paid to them;

(iv) in case the Protocol Division of the Ministry of External Affairs, after having issued a certificate to any foreign diplomatic mission or consular post in India, decides to withdraw the same subsequently, it shall communicate the withdrawal of such certificate to the foreign diplomatic mission or consular post;

(v) the refund of the whole of the central tax granted to the foreign diplomatic mission or consular post in India for official purpose or for the personal use or use of their family members shall not be available from the date of withdrawal of such certificate.

Explanation. - For the purposes of this notification, unless the context otherwise requires, “specified international organisation” means an international organisation declared by the Central Government in pursuance of section 3 of the United Nations (Privileges and Immunities Act) 1947 (46 of 1947), to which the provisions of the Schedule to the said Act apply.

2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of July, 2017

[F. No.334/1/2017 -TRU]

RUCHI BISHT, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जून, 2017

सं. 17/2017-केन्द्रीय कर (दर)

सा.का.नि. 696(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 9 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिश पर, यह अधिसूचित करती है कि सेवा के निम्नलिखित प्रवर्गों की दशा में, राज्य के भीतर पूर्ति पर कर इलेक्ट्रानिक वाणिज्यिक प्रचालक द्वारा संदत्त किया जाएगा-

- (i) रेडियो टैक्सी, मोटर कैब, मैक्सी कैब और मोटर साइकिल द्वारा यात्रियों के परिवहन के माध्यम के रूप में सेवाएं;
- (ii) होटल, सराय, अतिथि गृह, क्लबों, शिविर स्थल या अन्य वाणिज्यिक स्थानों, जो निवासीय या आवासीय प्रयोजनों के लिए हैं, में वास सुविधा देने के रूप में सेवा, सिवाय वहां जहां इलेक्ट्रानिक वाणिज्यिक प्रचालक के माध्यम से ऐसी सेवाओं की पूर्ति करने वाला व्यक्ति केन्द्रीय माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 की धारा 22 की उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी है।

स्पष्टीकरण--इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए,--

(क) “रेडियो टैक्सी” से टैक्सी अभिप्रेत है जिसके अंतर्गत रेडियो कैब है चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, जो केन्द्रीय नियंत्रण कार्यालय के साथ टू-वे रेडियो संपर्क में है और ग्लोबल पोजिसनिंग सिस्टम (जीपीएस) या जनरल पैकेट रेडियो सर्विस (जीपीआरएस) का उपयोग करके ट्रैक किए जाने के लिए समर्थ है ;